झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

सी0 एम0 पी0 संख्या–56 / 2020

1. रूबी झा
2. आनंद झा
3. विद्या झा ..... आवेदकगण

बनाम

गुलाब सिंह ..... विपक्षी पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

आवेदक की ओर से : श्री चंचल जैन, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष की ओर से :

आदेश संख्या–04

दिनांक–25.02.2020

यह सी0एम0पी0 सिविल जज (वरीय डिविजन)–सी0जे0एम0, जमशेदपुर द्वारा इजरायल वाद संख्या–04 / 2019 में पारित दिनांक 07.01.2020 (इस याचिका में अनुलग्नक–7 है) के आदेश को रद्द करने हेतु दायर किया गया है जिसमें डिक्रीधारक को इस तथ्य का अनदेखी करते हुए, कि दिनांक 26.06.2019 के आदेश द्वारा प्रथम अपील संख्या–07 / 2019 को हाल ही में इस न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय, जमशेदपुर वापस भेजा गया है, अग्रतर कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। आवेदक ने सिविल जज (वरीय डिविजन)–सी0जे0एम0, जमशेदपुर के न्यायालय में लम्बित इजरायल वाद संख्या–04 / 2019 की अग्रतर कार्रवाई को स्थगित करने की प्रार्थना भी की।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं सी0एम0पी0 के विषय–वस्तु का अवलोकन किया।

3. विपक्षी पक्ष–गुलाब सिंह आवेदकगण के खिलाफ सिविल जज (वरीय डिविजन), जमशेदपुर के न्यायालय में मनी सूट संख्या–24 / 2012 दाखिल किया है। उक्त मनी सूट आवदकगण के खिलाफ तथा विपक्षी पक्ष के पक्ष में दिनांक 06.09.2018 के निर्णय द्वारा ससंघर्ष डिक्री हुआ। सिविल जज (वरीय डिविजन), जमशेदपुर के उक्त निर्णय और डिक्री

से क्षुब्ध होकर, दिनांक 08.01.2019 को आवेदकगण ने प्रथम अपील संख्या–07/2019 इस न्यायालय में दाखिल किया। तथापि उक्त प्रथम अपील के लम्बित रहने के दौरान बंगाल, आगरा और असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 प्रवर्तन में आया जिसके चलते 1987 के अधिनियम संख्या–12 की धारा 21 में शब्द ''दो लाख पचास हजार'' को ''पच्चीस लाख'' से प्रतिस्थापित करते हुए संशोधन किया गया। तद्नुसार प्रथम अपील संख्या–07/2019 के अभिलेख को जिला न्यायालय, जमशेदपुर के न्यायालय को वापस कर दिया गया क्योंकि मूल न्यायालय द्वारा आज्ञप्ति (डिक्रीड) राशि 3 लाख (तीन लाख रूपये) था। हालांकि, उक्त अभिलेखों को भेजने में कुछ देरी हुई और उसे ज्ञापांक–4542 दिनांक 16.12.2019 द्वारा भेजा गया जो जिला न्यायालय, जमशेदपुर को दिनांक 10.01.2020 को ही प्राप्त हुआ। तथापि, इसी बीच, आक्षेपित निर्णय सिविल जज (वरीय डिविजन), जमशेदपुर द्वारा इजरायल वाद संख्या–04/2019 में दिनांक 07.01.2020 को पारित किया गया। तत्पश्चात् यह सी0एम0पी0 दाखिल किया गया।

4. आदेश XLI नियम 5 सी0पी0सी0 अपीलीय अदालत को मूल अदालत द्वारा पारित डिक्री के क्रियान्वयन को रोकने का अधिकार देता है यदि अपीलकर्त्ता द्वारा पर्याप्त कारण स्थापित किए जाते हैं। उक्त प्रावधान को निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः–

5. **अपीलय न्यायालय द्वारा स्थगन**–(1) अपील एक डिक्री या आदेश के तहत कार्यवाही के स्थगन के रूप में कार्य नहीं करेगा, सिवाय जहाँ अपीलीय न्यायालय आदेश दे सकता है, और न ही डिक्री के क्रियान्वयन को केवल डिक्री से अपील किए जाने के कारण स्थगित किया जाएगा लेकिन अपीलीय न्यायालय पर्याप्त कारण होने पर ऐसी डिक्री के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि मूल न्यायालय के डिक्री एवं निर्णय के खिलाफ सिर्फ अपील दायर करने से डिक्री/निर्णय के अन्तर्गत कार्यवाही पर रोक नहीं लगती है और न ही उसके क्रियान्वयन पर इसे स्थगन कहा जा सकता है। तथापि, अपीलीय न्यायालय पर्याप्त कारण होने पर ऐसी डिक्री के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है।

6. इसलिए, मेरे विचार में, आवेदक द्वारा दायर वर्तमान सी0एम0पी0 गलत है तथा इस पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। इस सी0एम0पी0 को, इस प्रकार, पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तथापि, आवेदकगण इस संबंध में उपयुक्त आवेदन उस अपीलीय न्यायालय में दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे जहाँ प्रथम अपील संख्या–07/2019 वर्तमान में लम्बित हैं

(राजेश शेकर, न्याया0)